

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा0पं0- डुमका

वि0ख0- औंराई

जनपद- भदोही

ग्राम पंचायत में दिनांक 15/06/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-


1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु0जा0 / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न0
1	मुन मोनिस	अल्पसंख्यक 50	अध्यक्ष	9452875634
2	हर्षवर्धन विन्द	पिछड़ा वर्ग 35	सचिव	9956921232
3	इदरीस	अल्पसंख्यक 65	कोषाध्यक्ष	
4	वंशराज पाल	पिछड़ा वर्ग 60	सामान्य सदस्य	8115228668
5	सत्येन्द्र कुमार भोया	पिछड़ा वर्ग 40	सामान्य सदस्य	7007421695
6	महेश सरोज	अनु0जाति 50	सामान्य सदस्य	
7	रामधनी गोतम	अनु0जाति 46	सामान्य सदस्य	9621090219
8	मैना देवी किरणकर्मा	पिछड़ा वर्ग 30	सामान्य सदस्य	7897927373
9	शावित्री देवी	अनु0जाति 51	सामान्य सदस्य	9935235072
10	मंती देवी	सामान्य 40	सामान्य सदस्य	
11	मीना देवी	सामान्य 32	सामान्य सदस्य	8115137502
12	निर्मला देवी	सामान्य 52	सामान्य सदस्य	
13	अंजली देवी	अनु0जाति 32	सामान्य सदस्य	7991426770
14	कंचन मोर्घा	पिछड़ा वर्ग 41	सामान्य सदस्य	9889304855
15	कथुम	अल्पसंख्यक 42	सामान्य सदस्य	8655921151

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा०पंच०- डुमका

वि०ख०- उमेशाई

जनपद- मदीही

ग्राम पंचायत में दिनांक 15/06/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु०जा० / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न०
1	सुनि मोनिस	अल्पसंख्यक 50	अध्यक्ष	9452875634
2	हर्षवर्धन विन्द	पिछड़ा वर्ग 35	सचिव	9956921232
3	इदरीस	अल्पसंख्यक 65	कोषाध्यक्ष	
4	वंशराज पाल	पिछड़ा वर्ग 60	सामान्य सदस्य	8115228668
5	सत्येन्द्र कुमार भोषा	पिछड़ा वर्ग 40	सामान्य सदस्य	7007421695
6	महेश सरोज	अनु०जाति 50	सामान्य सदस्य	
7	रामचन्दी गौतम	अनु०जाति 46	सामान्य सदस्य	9621090219
8	मैना देवी विश्वकर्मा	पिछड़ा वर्ग 30	सामान्य सदस्य	7897927373
9	शावित्री देवी	अनु०जाति 51	सामान्य सदस्य	9935235072
10	मैना देवी	सामान्य 40	सामान्य सदस्य	
11	मीना देवी	सामान्य 32	सामान्य सदस्य	8115137502
12	निर्मला देवी	सामान्य 52	सामान्य सदस्य	
13	अंजली देवी	अनु०जाति 32	सामान्य सदस्य	7991426770
14	कंचन मोर्घा	पिछड़ा वर्ग 41	सामान्य सदस्य	9889304855
15	कथूम	अल्पसंख्यक 42	सामान्य सदस्य	8655921151

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।

